रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 6, 1999/आषाढ़ 15, 1921
No. 346] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 6, 1999/ASADHA 15, 1921

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1999

कंपनी (आवेदनों पर फीस) नियम, 1999

सा.का.नि. 501 (अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637क की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (आवेदनों पर फीस) नियम, 1968 को अधिक्रान्त करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. <u>संक्षिप्त नाम</u>- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (आवेदनों पर फीस) नियम, 1999 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. <u>फीस</u>- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित कंपनी की बाबत या उक्त अधिनियम के किसी उपबंध (धारा 108 की उपधारा (1-घ) या धारा 555 की उपधारा (7) के खंड (ख) से भिन्न) के अधीन किसी कंपनी द्वारा (जिसके अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 591 में यथा परिभाषित विदेशी कंपनी भी है ।) केन्द्रीय सरकार को किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट फीस होगी, अर्थात् :-

<u>सारणी-I</u>

	किए गए आवेदन के लिए	संदेय फीस की रकम (रु.)
(i)	ऐसी कंपनी जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी निम्नलिखित हो :-	
	(क) 25,00,000/-रु. से कम	500
	(ख) 25,00,000 रु.या उससे अधिक किन्तु 5 करोड़ रु.से कम	1,000
	(ग) 5 करोड़ रु. या उससे अधिक	2,000

(ii)	परिसीमित गारंटी वाली ऐसी कंपनी द्वारा जिसकी कोई शेयर पूंजी न हो।	500
(iii)	अधिनियम की धारा 25 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए संगम या प्रस्तावित कंपनी द्वारा	500
(iv)	अधिनियम की धारा 25 के अधीन जारी की गई विधिमान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त कंपनी द्वारा	500
(v)	विदेशी कंपनी द्वारा	1,000

(2) उक्त अधिनियम की धारा 108 की उपधारा (1-घ) के अधीन केन्द्रीय सरकार को किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट फीस होगी, अर्थात् :-

सारणी- II

अंतरण से संबद्ध शेयरों के अंकित मूल्य के अनुसार संदेय फीस होगी	संदेय फीस की रकम (रु.)
(क) 5,000 रु. अनधिक	50
(ख) 5,000 रु. से अधिक	100

(3) उक्त अधिनियम की धारा 555 की उपधारा (7) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार को किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट समुचित फीस होगी :-

सारणी- III

कंपनी के समापन लेखा से संदाय के लिए आवेदन	संदेय फीस की रकम (रु.)
(क) जहां दावा की रकम 5,000/-रु. से अनधिक हो	कुछ भी नहीं
(ख) जहां दावा की रकम 5,000 रु. से अधिक किन्तु 10,000/-रु. से अनधिक हो	200
(ग) जहां दावा की रकम 10,000 रु. से अधिक हो	300

[फा. सं. 1/17/97-सी.एल.-वी.]

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : कंपनी (आवेदन पर फीस) नियम, 1968 अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1485 तारीख 5-8-1968 द्वारा जारी किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किया गया था :

(1) सा.का.नि. 259(अ) तारीख 24-4-1972

(2) सा.का.नि. 783(अ) तारीख 13-7-1988

(3) सा.का.नि. 126(अ) तारीख 25-2-1992

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, 6th July, 1999.

THE COMPANIES (FEES ON APPLICATIONS) RULES, 1999

G.S.R. 501(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642, read with sub-section (2) of section 637A, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and in supersession of the Companies (Fees on Applications) Rules, 1968, the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. Short title - (1) These Rules may be called the Companies (Fees on Applications) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Fees - (1) Every application made to the Central Government in respect of a company proposed to be registered pursuant to a licence under section 25 of the Companies Act, 1956, or by a company, (including a foreign company as defined in section 591 of the said Act), under any provision (other than sub-section (1-D) of section 108 or clause (b) of sub-section (7) of section 555) of the said Act, shall be accompanied by the fee specified in the Table below, namely:-

Table-I

.	For Applications made	Amount of fees to be paid (Rs.)
(i)	By a company having an authorised share capital of:-	
	(a) Less than Rs.25,00,000/-	500
	(b) Rs.25,00,000 or more but less than Rs.5 crores	1,000
	(c) Rs.5 crores or more	2,000
(ii)	By a company limited by guarantee but not having a share capital.	500
(iii)	By an Association or proposed company for issue of licen ce u/s 25 of the Act	500
(iv)	By a company having a valid licence issued u/s 25 of the Act.	500
(v)	By a foreign company	1,000

(2) Every application made to the Central Government under sub-section (1-D) of section 108 of the said Act shall be accompanied by the fee specified in the Table below, namely:-

Table-II

Where the face value of the shares involved in a transfer	Amount of fees to be paid (Rs.)
(a) Does not exceed Rs.5,000	50
(b) Exceeds Rs.5,000	100

(3) Every application made to the Central Government under clause (b) of sub-section (7) of section 555 of the said Act shall be accompanied by the appropriate fee specified in the Table below:-

Table -III

Application for payment from the Companies' Liquidation Account		Amount of fees to be paid (Rs.)
(a)	When the amount of claim does not exceed Rs.5,000/	NIL
(b)	When the amount of claim exceeds Rs.5,000 but does not exceed Rs.10,000/-	200
(c)	When the amount of claim exceed Rs.10,000	300

[F. No. 1/17/97-CL-V]

R.D. JOSHI, Jt. Secy.

Note :- The Companies (Fees on Application) Rules, 1968 were issued *vide* Notification No: GSR 1485 dated 5-8-1968 and subsequently amended vide:

(1) GSR 259(E) dated 24-4-1972
(2) GSR 783(E) dated 13-7-1988
(3) GSR 126(E) dated 25-2-1992

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054